कार्यालयः— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर(म.प्र.)

क्रमांक 176/2026 ग्वालियर, दिनांक — 24/03/2026

आदेश

माह **अप्रैल 2026** में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश (रविवार, शनिवार, सार्वजनिक एवं घोषित अवकाश) में रिमांड ड्यूटी एवं अन्य आवश्यक न्यायालयीन आपराधिक कार्य के संबंध में निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने–अपने न्यायालय में अपने कार्य के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों तथा संबंधित थानों के आवश्यक कार्य माह में दी गई तिथि पर दिन के 3 बजे से 5 बजे तक उपस्थित होकर संपादित करेंगे व उनके सहयोग हेतु उनके न्यायालय का स्टाफ उपस्थित रहेगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।

क.	नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट	अप्रैल
1	श्रीमती नुरून निशा अंसारी जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	3
2	श्री व्ही.पी.एस. चौहान जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	4
3	श्री सक्षम नरूला जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	5
4	श्री विवेक सिंह राजन जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	12
5	श्री हर्षवर्धन धाकड जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	14
6	सुश्री फाल्गुनी शर्मा जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	19
7	श्री कुणाल वर्मा जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर	26
	डबरा	
8	श्रीमती सृष्टि बी. शाह, जे.एम.एफ.सी., डबरा	12 14 19
9	श्रीमती आयूषी अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी., डबरा	03 26
10	श्री देवांश अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी., डबरा	04 05
	भितरवार	
11	श्रीमती पूनम कटारिया जे.एम.एफ.सी., भितरवार	05 12
12	श्री संजय जैन, जे.एम.एफ.सी., ग्वालियर	03 04
13	श्री पंकज गोंडू भालेराव, जे.एम.एफ.सी., ग्वालियर	14 19 26

आवश्यक निर्देश

1— सामान्य कार्य दिवस में यदि शासन अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई अतिरिक्त अवकाश घोषित किया जाता है तो माह **अप्रैल 2026** में अवकाश घोषित किये जाने पर अवकाश दिनांक को रिमाण्ड निम्नानुसार संपादित करेगें:—

ए. ग्वालियर में माह **अप्रैल 2026** में श्री विशाल जेठवा, जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर, डबरा में श्री देवांश अग्रवाल अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी. डबरा, भितरवार में श्रीमती पूनम कटारिया, जे.एम.एफ.सी. भितरवार रिमाण्ड डयूटी संपादित करेगें।

बी. इसी प्रकार यदि कोई पूर्व घोषित अवकाश शासन अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाता है तो उक्त दिनांक के लिए नियत की गई रिमांड ड्यूटी निरस्त मानी जावेगी तथा यदि उसके स्थान पर किसी दूसरे दिन अवकाश घोषित किया जाता है, तो उस स्थिति में वही न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड डयूटी करेगें, जिसकी पूर्व में निरस्त अवकाश वाले दिन रिमाण्ड डयूटी थी।

2— यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण/प्रमोशन आदि हो जाता है तो उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के रिमाण्ड डयूटी हेतु संबंधित मजिस्ट्रेट के स्थान पर आने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी मानी जावेगी और उन्हें आवश्यक रिमाण्ड कार्य संपादित करना होगा। यदि किन्हीं कारणवश संबंधित रिमाण्ड डयूटी के समय तक स्थानांतरित न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर पदस्थापित मजिस्ट्रेट द्वारा पदभार ग्रहण नहीं किया जाता है या स्थानांतरित मजिस्ट्रेट के स्थान पर किसी अन्य मजिस्ट्रेट की पदस्थापना ही नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में निम्नुनसार रिमाण्ड डयूटी संपादित की जावेगी:—

ग्वालियर में माह **अप्रैल 2026** में श्रीमती मानसी बालूजा, जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर, डबरा में श्रीमती सृष्टि बी शाह, जे.एम.एफ.सी. डबरा, भितरवार में श्री संजय जैन, जे.एम.एफ.सी. भितरवार रिमाण्ड डयूटी संपादित करेगें।

3— भितरवार स्थित पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थिति या अवकाश की दशा में रिमांड ड्यूटी का कार्य डबरा तहसील मुख्यालय के उपलब्ध रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा।

4— समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण जब भी मुख्यालय अवकाश के लिए आवेदन प्रस्तुत करे, तो उसमें यह अवश्य उल्लिखित करें कि जिन दिनांकों में मुख्यालय अवकाश चाहा गया है, उनमें उनकी रिमाण्ड डयूटी नहीं है और यदि उनकी रिमाण्ड डयूटी है, तो अपने आवेदन पर अपने साथी किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की उक्त दिनांकों पर रिमाण्ड डयूटी की सहमति प्राप्त कर आवेदन प्रेषित करें।

5— पीठासीन अधिकारी के आकस्मिकता की स्थिति में अनुपस्थिति या अवकाश की दशा में रिमांड ड्यूटी का कार्य उनके प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित किये जाने पर संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी।

सही/—
(प्रशान्त पाण्डेय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ग्वालियर

पृष्ठांकन कमांक— /2026 ग्वालियर दिनांक. 24/03/2026

1— कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2— माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (निरीक्षण) महोदय ग्वालियर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3— माननीय विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) महोदय ग्वालियर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4— समस्त न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर/डबरा/भितरवार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5— कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं एस.डी.ओ.पी. ग्वालियर /डबरा /भितरवार की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6— सचिव बार एसोसियेशन ग्वालियर/डबरा/भितरवार जिला ग्वालियर की ओर अवगत कराये जाने हेतु ।
7— केन्द्रीय पंजीयन कार्यालय जिला न्यायालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8— जिला अभियोजन अधिकारी ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9— सिस्टम ऑफीसर कम्प्यूटर अनुविभाग, जिला न्यायालय ग्वालियर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त रिमाण्ड डयूटी आदेश समस्त न्यायाधीशगण ग्वालियर/डबरा/भितरवार के ई.मेल पर अपलोड किये जावें।

(प्रशान्त पाण्डेय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ग्वालियर